कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / माध्य / साप्र / ए–3 / सामान्य / नागौर / 2014 / 869 दिनांकः–31/7/19

–:: परिपत्र ::–

विभाग के ध्यान में आया है कि अनेक बार लोकसेवक, बिना अवकाश स्वीकृत कराये ही, अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं और बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ देते हैं, जो एक गंभीर दुराचार एंव अनुशासहीनता है।स्वैच्छापूर्वक या फिर प्रार्थना पत्र देकर मात्र इतिश्री कर लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे लोकसेवक के विरूद्ध भी, यथासमय समुचित कार्यवाही अमल में नहीं लाये जाने के कारण, उनकी अनुपस्थिति अवधि बढती जाती है, जिससे राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जनहित / सार्वजनिक हित बाधित होता है और जनधारण को असुविधा का सामना करना पडता है। ऐसे लोकसेवक के अनावश्यक रूप से केडर–स्ट्रेन्थ में बने रहने से अन्य लोकसेवकों के पदौन्नति के अवसर प्रभावित होते हैं।

पाँच वर्ष से अधिक अवधि से निरन्तर स्वेच्छापर्वूक अनुपस्थित चले आ रहे लोकसेवकों के संबंध में कार्यवाही करने हेतु राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86(4) में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

"Unless the state Government in view of the special circumstances of the case,determins otherwise a state Government employee who remains absent from duty for a continuous period exceeding five years whether with or without leave,shall be deemed to have resigned from service"

तद्नुसार सभी नियुक्ति प्राधिकारियों एवं कार्यालयाध्यक्षो का यह दायित्व है कि उनके अधिनस्थ कार्यरत लोकसेवक जो कि बिना अवकाश स्वीकृत करवायें (स्वैच्छिक) निरन्तर कर्तव्य से अनुपस्थित चल रहे है,के विरूद्ध वे उक्त प्रावधानुसार कार्यवाही अमल में लावें।

ऐसे लोकसेवको की अनुपस्थिति के प्रकरण जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 86(4) के अन्तर्गत नहीं आते है, उनके संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण और अपील) नियम, 1958 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही की जावें।

इसी क्रम में सभी संबधित को निर्देशित किया जाता है कि:–

1. राजस्थान सेवा नियम के नियम 86 के तहत् नोटिस जारी कर कार्यग्रहण हेतु निर्देशित करावें।
2. कार्यग्रहण हेतु उपस्थित होने पर आपके अधिकार क्षेत्र (120 दिवस) का प्रकरण होने पर सीसीए–16 की कार्यवाही करते हुएं कार्यग्रहण करावें अन्यथा कार्यवाही प्रारंभ कर प्रकरण निदेशालय को प्रेषित करावें।
3. अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत लोकसेवक के पदस्थापन / उपस्थिति अनुपस्थिति का भौतिक सत्यापन प्रत्येक माह में किया जावें, तथा स्वैच्छापूर्वक अनुपस्थित पाये जाने वाले लोकसेवक के विरूद्ध उक्त वर्णित प्रावधानानुसार बिना विलम्ब के कार्यवाही सम्पादित की जावे।

इन दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालना नहीं किये जाने पर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष एवं कार्मिक के खिलाफ अनुशासनात्क कार्यवाही आरम्भ कर दी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा / माध्य / साप्र / ए–3 / सामान्य / नागौर / 2014 / दिनांकः– 31/07/19

प्रतिलिपिः– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधिनस्थ समस्त रामावि / राउमावि / पीईईओ को सूचित कर पालना सुनिश्चित करावें।
4. सिस्टम ऍनेलिसिस्ट,कम्पयूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर